न्यायालयः— मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

कमांक..98.. /24 रतलाम, दिनांक 05.12.2024

संशोधित कार्य विभाजन आदेश

मैं, मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.) दप्रस की धारा 12 (1) एवं 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहियों के निष्पादन के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं रतलाम/जावरा में नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी की नियुक्ति होने से कार्य विभाजन आदेश कं. 74/24 दिनांक 26.07.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो तत्काल प्रभावी होगाः—

1— कार्यविभाजन आदेश में संलग्न अनुसूची कमांक 01 में श्री अरूण सिंह ठाकुर, सुश्री आकांक्षा, श्री प्रवेश काबरा, श्री मंगल परमार, सुश्री वैशाली चौहान, सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, रतलाम के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टी स्थापित की जाती हैं:—

1	2	3	4	5
श्री अरूण सिंह ठाकुर	सुश्री आकांक्षा	श्री प्रवेश काबरा	सुश्री प्रगति आसाटी	श्री मंगल परमार
सुश्री आकांक्षा	श्री प्रवेश काबरा	सुश्री प्रगति आसाटी	श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान
श्री प्रवेश काबरा	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला
श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला	श्री अरूण सिंह ठाकुर	सुश्री आकांक्षा
सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला	श्री अरूण सिंह ठाकुर	सुश्री आकांक्षा	श्री प्रवेश काबरा
सुश्री रूपाली बिरला	श्री अरूण सिंह ठाकुर	सुश्री आकांक्षा	श्री प्रवेश काबरा	श्री मंगल परमार

2— कार्यविभाजन पत्र के पद कं. 04 श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिसका वितरण होगा, वाले कॉलम में से कं. 3 की प्रविष्टी विलोपित की जाती हैं।

3— कार्यविभाजन पत्र के पद कं. 11 श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के आरक्षी केन्द्र वाले कॉलम नं. 3 में से **"1. बिलपांक"** विलोपित किया जाता हैं। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिसका वितरण होगा, वाले कॉलम में कं. 1, 2 की प्रविष्टी विलोपित की जाती हैं।

4— उक्त प्रविष्टि के परिणामस्वरूप कार्यविभाजन पत्र के पद क. 09 में सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के सम्मुख क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र वाले आरक्षी केन्द्र वाले कॉलम में **"प्रविष्टि क. 1. बिलपांक"** **अंकित** किया जाता है। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिसका वितरण होगा, वाले कॉलम में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां **अंकित** की जाती है:—

1. उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, द.प्र.सं. की धारा 173/193 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ.आर.। (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार)।
2. उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहिया।
3. सक्षम न्यायालयों द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

5— कार्यविभाजन पत्र के पद क. 11 में श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिसका वितरण होगा, वाले कॉलम में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां **अंकित** की जाती है:—

1. आरक्षी केन्द्र माणकचौक एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
2. आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्‌भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्‌भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले माह फरवरी—मार्च 2025 में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें।
3. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उत्पन्न होने वाले पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टिंग एक्ट 2007 से संबंधित मामले।
4. सक्षम न्यायालयों द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

6— कार्यविभाजन आदेश में संलग्न अनुसूची कमांक 01 में <u>सुश्री शिवानी राठौर,</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार नवीन प्रविष्टी स्थापित की जाती है:—

1	2	3	4	5
सुश्री शिवानी राठौर	सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री दीपक कनेरिया	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	श्री अंकित भुजंग

<u>नोट—शेष कार्य विभाजन आदेश कमांक 74/24 दिनांक 26.07.2024 यथावत रहेगा।</u>

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम

पृष्ठांकन क्र. 334/24 रतलाम, दिनांक 05.12.2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/जावरा की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)